दिनांक :

प्रति,

१. मा. केंद्रीय गृहमंत्री, नई देहली.

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य.

विषय : राष्ट्रप्रेमी एवं हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी पर सी.बी.आई. द्वारा प्रविष्ट किए अपराध हटाने के संबंध में ....

महोदय,

डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच अभी केंद्रीय अन्वेषण विभाग कर रहा है । इस प्रकरण में पिछले ३ वर्षों में सी.बी.आई. ने अनेक निर्दोष हिन्दुओं को संदिग्ध आरोपी कहकर बंदी बनाया है । इस प्रकरण में एक संदिग्ध आरोपी ने १० महीने पूर्व दिए गए बयान के आधार पर मुंबई के राष्ट्रप्रेमी और हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ता तथा हिन्दू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय सचिव संजीव पुनाळेकरजी तथा सूचना अधिकार कार्यकर्ता श्री. विक्रम भावे को २५ मई २०१९ को बंदी बनाया था । पुणे के विशेष न्यायालय ने पुनाळेकरजी के संदर्भ में सी.बी.आई. द्वारा किए दावे-प्रतिदावे देखते हुए उन्हें ५ जुलाई को जमानत स्वीकार की है । मूलतः अधिवक्ता पुनाळेकरजी को जिस कथित अपराध में बंदी बनाया गया था, वे अपराध गलत हैं । इसलिए उनपर प्रविष्ट किए गए अपराध सी.बी.आई. को हटाना आवश्यक है ।

डॉ. दाभोलकर तथा अन्य आधुनिकतावादियों की हत्या के अन्वेषण में अन्वेषण अभिकरण पूर्णतः असफल सिद्ध हुए हैं । इसलिए स्वयं की असफलता छिपाने के लिए अन्वेषण अभिकरण निरंतर किसी न किसी को लक्ष्य बना रहे हैं । सीबीआई द्वारा अधिवक्ता पुनाळेकरजी को उनके सहयोगी के साथ बंदी बनाए जाने की कार्यवाही अत्यंत अनुचित एवं निंदनीय है । अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने अभी तक समाज के पिछडे वर्ग, निरपराध हिन्दू कार्यकर्ता, पुलिस, पत्रकार, संत आदि अनेकों के लिए जो कार्य किया है, उसे देखते हुए उन पर इस प्रकार अनुचित पद्धति से आरोप लगाकर उन्हें हेतुतः फंसाना अत्यधिक संदेहजनक है । इस प्रकरण में सी.बी.आई. और जांच करनेवाले अन्य तंत्रों का अंधेर देखते हुए यह स्पष्ट होता है कि निरपराध हिन्दुत्वनिष्ठों का दमन करने के लिए यह षड्यंत्र रचा गया है ।

१. अ. अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा संक्षेप में आगे दे रहे है –

१. पुलिस और पत्रकारों के लिए किया गया कार्य : दिनांक ११ अगस्त २०१२ को मुंबई के आजाद मैदान में रजा अकादमी के ५० हजार से अधिक धर्मांधों ने दंगा किया । इस समय धर्मांधों ने राष्ट्रीय स्मारक 'अमर जवान ज्योति' तथा राष्ट्रीय संपत्ति की व्यापक हानि की । पुलिस और पत्रकारों पर आक्रमण किए तथा सबसे गंभीर बात यह है कि दंगाइयों ने महिला पुलिस पर भी अत्याचार किया । इस प्रकरण में दंगाइयों से हानिभरपाई वसूलने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने 'राष्ट्रीय पत्रकार मंच' की ओर से मुंबई उच्च न्यायालय में प्रविष्ट की गई याचिका नि:शुल्क लड रहे हैं । इसमें भी न्यायालय ने संबंधित लोगों से हानिभरपाई का वसूलने का आदेश दिया ।

२. गरीब और पिछडे वर्ग के लिए किया हुआ कार्य : अ. शासन की ओर से अनुदान अथवा भूखंड लेकर उस पर जो चिकित्सालय बनाए जाते हैं, उनमें गरीबों के लिए १० प्रतिशत खाटों की दर में छूट और २० प्रतिशत खाटें नि:शुल्क रखने का नियम है; परंतु अनेक लोगों को यह सुविधा नहीं मिलती । इसे ध्यान में रखकर गरीबों के अधिकारों की रक्षा के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की । इस पर न्यायालय ने चिकित्सालयों को गरीबों के लिए खाटें आरक्षित रखने का आदेश दिया ।

आ. एक पिछडी जाति के लडके की कारावास में मृत्यु हो गई, उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकर ने उन्हें नि:शुल्क सहायता की ।

इ. आदिवासी समाज के, ईंटभट्टी पर मजदूरी करनेवाले एक १६ वर्षीय लडके को रायगढ जिले की पुलिस ने एक हत्या के आरोप में बंदी बनाया और उसकी आयु २२ वर्ष दिखाई । वह लडका निर्दोष होने का विश्वास होने तथा उसपर हुआ अन्याय ध्यान में आनेपर अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने स्वयं आगे आकर उसका अभियोग निःशुल्क चलाया तथा वह लडका अवयस्क है, यह न्यायालय में सिद्ध किया तथा उसे निर्दोष मुक्त करवाया ।

३. भ्रष्टाचार के विरोध में किया हुआ संघर्ष : अ. महाराष्ट्र शासन द्वारा सरकारीकरण किए श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी; पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिति, कोल्हापुर; श्री सिद्धीविनायक मंदिर, मुंबई; श्री विठ्ठल-रुक्मिणी देवस्थान समिति, पंढरपुर; श्री तुळजाभवानी मंदिर, तुळजापुर; सहित अनेक मंदिरों के व्यवस्थापन में हुए भ्रष्टाचार के प्रकरण अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने उजागर किए तथा अनेक प्रकरणों में शासन द्वारा पूछताछ समितियों का गठन किया है ।

आ. अंनिस जैसे कथित आधुनिकतावादी संगठनों द्वारा किया हुआ भ्रष्टाचार, उनके द्वारा अवैधानिक रूप से एकत्रित की हुई विदेश निधि के संबंध में प्रकरण उजागर करने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने सहायता की । परिणामस्वरूप अंनिस जैसी संस्थाओं को धर्मादाय आयुक्त ने कारण बताओ नोटिस भेजा है ।

४. निरपराध हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं के लिए किया हुआ संघर्ष : अ. वर्ष २००८ में हुए मालेगांव बम-विस्फोट प्रकरण के उपरांत कांग्रेस प्रणित अवधारणा 'हिन्दू आतंकवाद' का बुरखा फाडने का कार्य सर्वप्रथम अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी ने विविध स्तर पर वैचारिक प्रतिवाद कर किया । इस प्रकरण के ५ आरोपियों के लिए अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने वकील के रूप में कार्य करते हुए उन्हें जमानत प्राप्त करवाई ।

आ. वर्ष २००९ में मडगांव (गोवा) में हुए विस्फोट के प्रकरण में सनातन के ६ साधकों को बंदी बनाया गया था । उनका अभियोग अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी ने निःशुल्क चलाया और उन सभी का निर्दोषत्व न्यायालय में सिद्ध करते हुए सभी ६ साधकों को मुक्त कराया ।

इ. संतश्री आसारामजी बापू को कारागृह में औषधियां तथा घर का भोजन उपलब्ध करवाने के लिए न्यायालय में याचिका प्रविष्ट करते हुए उन्हें वह उपलब्ध करवाया ।

५. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का झूठ उजागर किया : 'इंडिया टुडे' समाचार वाहिनी के एक पत्रकार ने कुछ हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को पैसों का प्रलोभन देकर बम विस्फोट के प्रकरण में सनातन संस्था का नाम लेने हेतु प्रेरित करने का प्रयास किया। अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने इस कथित 'स्टिंग ऑपरेशन' का भंडा फोडा । इस समय अधिवक्ता पुनाळेकरजी को सनातन संस्था के विरोध में बोलने के लिए २ करोड रुपयों का प्रलोभन दिया गया था, यह बताकर उन्होंने प्रसारमाध्यमों का झूठ उजागर किया ।

६. देशद्रोहियों पर कार्यवाही की मांग : शहरी नक्सलवाद, कर्नाटक में हुई ८ हिन्दुत्वनिष्ठों की हत्या के प्रकरण में 'पॉप्युलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया' के आबीद पाशा पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए अधिवक्ता संजीव पुनाळेकर ने न्यायालय में याचिका प्रविष्ट की है ।

आ. सूचना अधिकार कार्यकर्ता श्री. विक्रम भावे द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त ब्यौरा

१. 'मालेगांव विस्फोट के पीछे के अदृश्य हाथ' पुस्तक लिखकर मालेगांव विस्फोट का खरा स्वरूप उजागर किया ।

२. सूचना के अधिकारों का उपयोग करते हुए उन्होंने अनेक स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के भ्रष्टाचार उजागर किए हैं ।

उक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता पुनाळेकरजी ने अनेक सामाजिक, राष्ट्रीय, धार्मिक आदि विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं । तब भी उनपर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं । आतंकवादी याकूब मेमन, अफजल गुरु, अजमल कसाब जैसे देशद्रोहियों को उनका पक्ष रखने के लिए वकील दिए जाते हैं । तब यदि संदिग्ध रूप से बंदी बनाए गए हिन्दुओं का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता पुनाळेकर ने वकीलपत्र लिया, इसमें अनुचित क्या है ? किसी वकील ने

निरपराध का पक्ष रखने का प्रयत्न करते हुए अपने संवैधानिक अधिकार का ही तो उपयोग किया है ; परंतु तब भी उन्हें षड्यंत्रपूर्वक बंदी बनाकर, हेतुतः हिन्दुओं का दमन करने का प्रयास किया जा रहा है । यह उनके कर्तव्य पर कुठाराघात है ।

ऐसा ही होता रहा, तो आरोपी ने वकील को जानकारी दी अथवा वकील से परामर्श लेकर आरोपी ने वर्तन किया, यह कहते हुए सी.बी.आई. निश्चित ही देशभर में वकीलों को बंदी बनाना प्रारंभ कर देगी । इसलिए सी.बी.आई. द्वारा की गई कार्यवाही संविधान और संपूर्ण अधिवक्ता वर्ग के व्यवसायिक न्यायिक अधिकारों का गला घोंटनेवाली है । साथ ही न्यायप्रणाली द्वारा अधिवक्ताओं को दिए हुए अधिकार 'ऑफिसर ऑफ द कोर्ट' का हनन है ।

इस प्रकरण में हमारी मांगें हैं,

१. इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की जाए तथा इस प्रकरण में सीबीआई की भूमिका की भी जांच की जाए ।

२. सीबीआई के अधिकारी नंदकुमार नायर को डॉ. दाभोलकर प्रकरण की जांच से हटाकर वह अन्य निष्पक्ष अधिकारी को सौंपी जाए ।

३. 'सी.बी.आई' के पूर्व कलंकित इतिहास को देखते हुए हिन्दुत्वनिष्ठ कार्यकर्ताओं को षड्यंत्रपूर्वक फंसाने के अनेक उदाहरण हैं, इस समय भी इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता । इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए निर्दोष अधिवक्ता संजीव पुनाळेकरजी एवं विक्रम भावेजी को तत्काल सम्मानपूर्वक मुक्त किया जाए ।

इन मांगों के लिए हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों की ओर से ..... को .....स्थान पर ..... राष्ट्रीय हिन्दू आंदोलन किया गया ।

संपर्क :